जिले में 135 में से 131 वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाता द्वारा किया गया होम वोटिंग

❒ होम वोटिंग निर्वाचन आयोग की अच्छी पहल, अत्यंत बुजुर्ग और दिव्यांग भी कर पा रहे मतदान

❒ अपर कलेक्टर पाण्डेय ने किया होम वोटिंग प्रक्रिया का औचक निरीक्षण

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ मतदाताओं को उनके मताधिकार के लिए उपयोग के लिए प्रारंभ होम वोटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र के पर्व में जहां एक-एक मत की महती भूमिका होती हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में जहां चलने-फिरने में दिक्कत होती हैं। वहां मतदान कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग न कर पाने की खलल भारत निर्वाचन आयोग ने दूर करते हुए ऐसे 85 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पहुंच मतदान करने की सुविधा देकर लोकतंत्र में उनकी मत के महत्व को बरकरार रखा हैं।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर संपूर्ण प्रकिया का पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने स्थित घर में निवासरत मतदाता वली मोहम्मद का जन्म सन 1931 में हुआ है, आज के समय में उनकी उम्र लगभग 93 साल हो चुकी हैं, वो बताते है भारत में जब निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से अपने मताधिकार का लगातार उपयोग कर रहे है। लेकिन इस उम्र उन्हे दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा था, लेकिन निर्वाचन आयोग के शुरू किए होम वोटिंग ने उन्हे राहत दी है और आज वो दूसरी बार होम वोटिंग कर अपने मताधिकार का उपयोग किए है। इसी प्रकार शहर में चल रहे होम वोटिंग की प्रक्रिया का अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर तहसीलदार लोमस मिरी भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि जिले में चारों विधानसभा में आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिसके तहत मतदान दलों के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओ के घर में पहुंच मतदान कराया गया। जिले में कुल 135 होम वोटर हैं, जिसमें रायगढ़ में 23, खरसिया में 56, लैलूंगा में 19 तथा धरमजयगढ़ में 37 वोटर शामिल है। होम वोटिंग के लिए आवेदन करने वाले कुल 135 मतदाताओं में से 131 मतदाताओं द्वारा आज उनके निवासगृह में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया गया। 01 मतदाता का निधन हो चुका है तथा शेष 03 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उनके निवासगृह में 02 मई 2024 को मतदान अधिकारियों की टीम पुन: जाएगी।

हाट बाजारों में साग भाजी से आकृति बना 7 मई को मतदान के लिए कर रहे प्रेरित, चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

❒ गांवों में रैली निकाल ली गई मतदाता जागरूकता की शपथ

❒ स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विविध कार्यक्रम

रायगढ़

लोकसभा निर्वाचन-2024 मतदान के लिए 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल तथा सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल अधिकारी जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे है और लोगों को शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में विशेष स्वीप अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। विशेष स्वीप अभियान के तहत आज खरसिया के कम मतदान प्रतिशत वाले ग्राम पंचायत बड़े देवगांव एवं परसापाली के हाट-बाजार में मतदाता जागरूकता शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है और मतदान दिवस 7 मई 2024 को मतदान केन्द्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही मतदाता शपथ भी दिलाई जा रही है। तमनार के ग्राम-गारे में गांव की महिलाओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान सभी महिलाओं ने लोगों को मतदान के महत्व को बताया और उनसे मतदान करने की अपील की गई। रैली में नारों के माध्यम से महिलाओं ने लोगों को जागरूक किया। इसी के साथ शत-प्रतिशत मतदान की शपथ भी ली गई।

उद्योगों में भी औद्योगिक कर्मियों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। तमनार में सारडा इनर्जी में भी कर्मियों ने 07 मई को मतदान की शपथ ली।

महत्वपूर्ण एवं खास

पानी में डूबने से 8 लोगों की असामयिक मृत्यु, खरसिया ब्लाक के ग्राम अंजोरीपाली की घटना

मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान जारी, राशि खाते में अंतरित

रायगढ़। अनुविभाग खरसिया अंतर्गत ग्राम-अंजोरीपाली के 8 लोगों की प्राकृतिक आपदा पानी (नदी)में डूबने से असामयिक मृत्यु होने पर एसडीएम खरसिया के प्रकरण पश्चात पात्रतानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत कर जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लाक के निवासी उड़ीसा के पथरसेनी में मंदिर दर्शन हेतु गये थे। महानदी तट से वे लकड़ी की नाव (डोंगा)में सवार होकर मंदिर तक पहुंचे तथा दर्शन के बाद वापस लौटते समय यह दुखद घटना घटित हुई थी। उक्त घटना में मृतक सभी 8 लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 4-4 लाख रुपये की मान से कुल 32 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत कर जारी की गई है। जो कि संबंधित के खातों में अंतरित हो गई है। प्राकृतिक आपदा से असामयिक मृत्यु पर विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति/परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत वित्तीय सहायता स्वीकृत करना आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर होता है।

कलेक्टर धर्मेश साहू ने किया डाकमत सुविधा केंद्र का निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश साहू ने सारंगढ़ के कलेक्टर कार्यालय और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय में चल रहे डाकमत सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियो कर्मचारियों के कार्यों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान, डाक मत के प्रभारी अधिकारी आशीष बनर्जी, जिला शिक्षा अधिकारी एस एन भगत, प्राचार्य सुदीप्त प्रधान, मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी आदि उपस्थित थे।

जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक ही दिन में रोके तीन बाल विवाह

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाकर टीम गठित किया गया है। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी स्तरों पर सख्ती बरतने के फलस्वरूप जिले में 26 अप्रैल शुक्रवार को 03 बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसमें जिला प्रशासन की गठित संयुक्त टीम द्वारा विवाह स्थल में जाकर बाल विवाह रोका गया। जिसमें थाना खरसिया अतंर्गत ग्राम-नवागांव, बसनाझर,जिला-रायगढ़ में बाल विवाह रोका गया। इसी तरह थाना चक्रधर नगर के अतंर्गत आईटीआई कालोनी अम्बेडकर आवास, रायगढ़ में एवं थाना सिटी कोतवाली के अतंर्गत बापू नगर रायगढ़ में बाल विवाह जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा एक ही दिन में कुल 03 बाल विवाह को रोका गया। जिसमें परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग व चाईल्ड लाईन रायगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा बालिका-बालक के आवश्यक दस्तावेजों का जांच किया गया एवं उपस्थित परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम की जानकारी दी गई। बालिका के बालिग होने पर या निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की सहमति परिजनों दिया गया। जिला प्रशासन बाल विवाह की रोकथाम हेतु चौकस है, आगामी माह 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया में बाल विवाह की संभावना को देखते हुये कलेक्टर द्वारा टीम को सजग रहने के निर्देश दिए गए है।

जिला न्यायाधीश सिन्हा ने जिला जेल का किया निरीक्षण, बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के विषय में दी जानकारी

रायगढ़

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज जिला जेल रायगढ़ का भ्रमण किया गया। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा आयोजित शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए जिन बंदियों के मामले में अधिवक्ता नहीं हैं उनकी ओर से लीगल एड डिफेंस कौसिल द्वारा मामले में पैरवी करने तथा जमानत आदि की कार्यवाही करने के बारे में बताया गया। छोटे अपराधों में निरूद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बे समय से जेल में हैं, उनके मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्वरित संज्ञान लेने तथा संबंधित न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल कराये जाने हेतु सचिव अंकिता मुदलियार को निर्देशित किया गया। साथ ही ऐसे बंदी जिनकी जमानत स्वीकृत हो गई है, किन्तु किसी असमर्थतता के कारण जमानत प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में धारा 440 द.प्र.सं. के अन्तर्गत आवेदन संबंधित न्यायालय में दाखिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सहायक जेल अधीक्षक एस.पी. कुर्रे के द्वारा जिला न्यायाधीश को यह जानकारी दी गई कि जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर से बंदी लाभान्वित हो रहे है तथा बंदियों की पहले की तुलना में रिहाई भी अधिक हो रही है। सहायक जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों को जेल नियमावली के विषय में जानकारी दी गई तथा जेल लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जिन बंदियों के मामलों में अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें पैरवी करने तथा जमानत आवेदन दाखिल कराये जाने हेतु विधिक सहायता प्रदान कर नि:शुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने के बारे में बताया गया। बंदियों को रिहा होने के उपरान्त पुन:अपराध न करने की सलाह दी गई। विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव के अतिरिक्त जेल के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं पैरालीगल वालिंटियर्स आयुष देवांगन उपस्थित रहे।

ग्रीष्म काल में हैण्डपंप बंद होने की सूचना के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन

❒ पेयजल समस्या के लिए दूरभाष नंबर 07762-222972 पर कर सकते है संपर्क, 30 जून तक रहेगा प्रभावशील

❒ शिकायत/सुझाव के लिए विभागीय टॉल फ्री नंबर 18002330008 में भी कर सकते संपर्क

रायगढ़

ग्रीष्म काल में हैण्डपंप बंद होने की सूचना के लिए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिससे संपर्क किया जा सकता है एवं संबंधित विकासखण्ड के प्रभारी अधिकारी को शिकायत एवं सुझाव दे सकते है। इनमें विकासखण्ड रायगढ़ एवं पुसौर के लिए सहायक अभियंता रमाशंकर कश्यप मोबा. नं. 9131733921 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह विकासखण्ड खरसिया हेतु प्रभारी सहायक अभियंता कु.उमा सिदार मोबा.नं. 7748023595, विकासखण्ड घरघोड़ा, तमनार एवं लैलूंगा हेतु सहायक अभियंता आर.के.टण्डन मोबा. नं.75667-05216 तथा विकासखण्ड धरमजयगढ़ हेतु प्रभारी सहायक अभियंता जे.सी.भगत मोबा नं.91310-44438 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

पेयजल समस्या के लिए दूरभाष नंबर 07762-222972 में कर सकते है संपर्क

ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण एवं सुचारू रूप से संचालन/संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष नंबर 07762-222972 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा।

सहायक अभियंता रामाशंकर कश्यप मोबा.नं.79877-18375 को नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह सहायक मानचित्रकार बाबू लाल पटेल मोबा.नं.97701-94004 तथा सहायक मानचित्रकार आर.के.खलखो मोबा. नं. 88393-90621 को नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक बनाया गया है। प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार प्रकोष्ठ प्रभारी द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगी। जिला स्तर पर खण्ड कार्यालय रायगढ़ एवं प्रत्येक उपखंड मुख्यालय तथा विकासखण्ड स्तर पर समस्त जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत/सुझाव उक्त स्थलों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टॉल फ्री नंबर 18002330008 में भी शिकायत/ सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रति वर्ष की भांति पारंपरिक रूप से रायगढ़ जिले में ग्रीष्मकाल में धान की खेती करने के कारणों से भू-जल स्तर गिरने से हैण्डपंप बंद होते है। इस वर्ष वर्तमान में 746 हैण्डपंप भू-जल स्तर गिरने से बंद हुए है। विगत वर्ष में इसी समयावधि में लगभग 1200 हैण्डपंप भूजल स्तर गिरने से बंद हुए थे। जिन ग्रामों में भू-जल स्तर गिरने से हैण्डपंप बंद हो रहे है। उन ग्रामों में अतिरिक्त रूप से पेयजल व्यवस्था हेतु सिंगल फेस पावर पंप, नलजल योजना एवं सोलर पंप संचालित है। इन ग्रामों में पेयजल की कोई गंभीर समस्या नहीं है। किसी भी ग्राम में पेयजल परिवहन की आवश्यकता नहीं है।

ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में ट्रक ड्रायवर को कोर्ट से 15,000 रुपए का अर्थदंड

❒ घरघोड़ा पुलिस ने शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे ट्रक ड्रायवर पर की गई थी कार्रवाई

रायगढ़

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने वाहन चेकिंग तथा नियमानुसार चालानी कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में दिनांक 26.04.2024 को घरघोड़ा पुलिस द्वारा वाहन चेंकिग दौरान छाल रोड पर ट्रक क्र. CG 13LA 4856 के चालक राज कुमार निवासी हरिहर गंज, पलामू झारखंड को शराब पीकर खतरनाक तरीके वाहन चलाते पकड़ा गया। वाहन चालक के कृत्य पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 185 के तहत कर इस्तगासा घरघोडा न्यायालय पेश किया गया। आज दिनांक 27.04.2024 को माननीय न्यायाधीश द्वारा वाहन चालक पर 15,000 रूपये का जुर्माना किया गया है।

सट्टा पट्टी लिखने वाले 12 आरोपियों से 13.46 लाख रुपए नगद सहित 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 15 मोबाइल और लाखों की सट्टा-पट्टी जब्त

❒ आईपीएस आकाश शुक्ला, डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में साइबर सेल, कोतवाली, चक्रधरनगर, जूटमिल पुलिस की टीम ने शहर के कई इलाकों में एक साथ मारे छापे

❒ सट्टा पट्टी पर प्रभावी कार्यवाही के लिए गिरफ्तार आरोपियों के खंगाले जा रहे डिटेल, आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत की जा रही कार्यवाही

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल (आईपीएस) द्वारा सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा व सट्टा लिखने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों तथा थाना/चौकी प्रभारी को दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सीएसपी रायगढ़ आकाश शुक्ला (आईपीएस) एवं साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा अपने अधीनस्थों को पूर्व में सक्रिय रहे खाईवालों एवं वर्तमान में सट्टा पट्टी लिखने वालों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया था जिस पर शहर के कई क्षेत्रों में लुक-छिपकर सट्टा पट्टी लिखने की सूचनाएं पुलिस को लगाये मुखबीरों से प्राप्त हुई , सूचनाए पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल द्वारा सट्टा पट्टी लिखने वालों पर कार्रवाई के लिए सीएसपी आकाश शुक्ला एवं साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में टीआई मोहन भारद्वाज, टीआई प्रशांत राव, साइबर सेल, कोतवाली, जूटमिल और चक्रधरनगर स्टाफ की अलग-अलग टीमें बनाई गई। इन टीमों ने द्वारा आज शाम शहर के कई स्थानों पर एक साथ सट्टा रेड कार्रवाई किया गया जिसमें 12 व्यक्तियों को पुलिस ने रंगे हाथ कागज, मोबाइल, लेपटाप, टैबलेट पर सट्टा-पट्टी नोट करते पकड़ा है। पुलिस की सफल सट्टा रेट में 12 आरोपियों से नगद रकम 13,46,780 रुपए, 15 नग मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, पेन, कैलकुलेटर तथा सट्टा पट्टी पर्ची जप्त किया गया है। पूरी कार्यवाही में 12 आरोपियों से कुल ₹15,71,780 की संपत्ति आरोपियों से जप्त की गई है, गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली, चक्रधरनगर, जूटमिल में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। सट्टा पट्टी पर अंकुश लगाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से जप्त मोबाइल का रिकार्ड और संपूर्ण लेन-देन की जानकारी निकलवाकर सट्टे में संलिप्त अन्य व्यक्तियों पर विधि अनुरूप कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर सटोरियों पर की गई कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक/साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी अभिनव उपाध्याय, थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, साइबर सेल प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, महिला प्रधान रक्षक रेनू मंडवी सिंह, आरक्षक धनंजय कश्यप, प्रशांत पंडा, महेश पंडा, पुष्पेंद्र जाटवर, विकास प्रधान, विक्रम सिंह, सुरेश सिदार, प्रताप बेहरा, नवीन शुक्ला, रविंद्र गुप्ता, महिला आरक्षक मेनका चौहान, छसबल आरक्षक सुर्दशन पाण्डेय, थाना कोतवाली के प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, जगमोहन ओग्रे, संदीप मिश्रा, उत्तम सारथी, थाना जूटमिल के प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, चक्रधरनगर के सहायक उप निरीक्षक उदय सिंह सिदार, रवि साय एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

सट्टा रेड में जप्त रकम व सामाग्री-

नकदी रकम 13,46,780 रुपए,
15 नग मोबाइल (₹1,50,000),
एक लैपटॉप (₹35,000),
एक टैबलेट (₹40,000),
पेन, कैलकुलेटर तथा सट्टा पट्टी पर्ची (लाखों में)
कुल ₹15,71,780

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480